संख्या-83/2016-2628 ई-2/तेरह-2016-88/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 28 दिसम्बर,2016

विषय:-मेसर्स श्री परमबक्सीस सिंह तूर, निदेशक, मे0 प्रीमियर रेस्टोरेन्टस, प्रा0लि0 बी- 11/1 ओखला फेस-2 इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली ने उनके द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट ''चिलीज'' एफ 451-453 व 463 डी0एल0एफ0 मॉल ऑफ इण्डिया, प्लाट एम-3, सेक्टर-18, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को वर्ष 2016-17 हेतु एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-450/1/आबकारी/बार-अनुज्ञापन/गौतमबुद्धनगर, दिनांक 01 नवम्बर,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 24-10-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-167/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6-7/(खण्ड-19)बार अनु0/नोएडा, दिनांक 04 दिसम्बर,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स श्री परमबक्सीस सिंह तूर, निदेशक, मे0 प्रीमियर रेस्टोरेन्टस, प्रा0लि0 बी- 11/1, ओखला फेस-2, इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली के नाम उनके द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट ''चिलीज'' एफ 451-453 व 463, तृतीय तल, डी0एल0एफ0 मॉल ऑफ इण्डिया, प्लाट एम-3, सेक्टर-18, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को वर्ष 2016-17 हेतु एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-83/2016/2628(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-167/दस-लाइसेंस-64/एफ0एल0-6-7/(खण्ड-19)बार अनु0/नोएडा, दिनांक 04 दिसम्बर,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।